न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम किरण पत्नी हरिकिशन जाट आसपुरा वगैरह

प्रा.पत्र नम्बर 48/2022 GCMS No.2022/101

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
19/07/2022	अप्राथी प्रकाश राठी पुत्र भंवराराम जाट आसपुरा एवं उनके अधिवक्ता श्री बोदूराम चौधरी के द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम आसपुरा के खसरा नम्बर 284 में अन्य खातेदारान के साथ खातेदारी भूमि आई हुई है तथा तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व उक्त भूमि के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया है, उपरोक्त खसरान की भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण किये बिना उपयोग में लिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण अप्रार्थी के विरूद्व माननीय न्यायालय में दर्ज होकर अप्रार्थी के विरूद्व एक–पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। उपरोक्त खसरा की भूमि को अप्रार्थी के पिता भंवराराम पुत्र नोलाराम राठी आसपुरा द्वारा ग्राम आसपुरा के खसरा नमबर 284 में से 2777.77 वर्ग गज कृषि भूमि को अकृषि उपयोग में लिये जाने से पूर्व निर्धारित रीति अनुसार प्राधिकारी अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका कुचामनसिटी के यहॉ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की घारा 90 –क के तहत प्रार्थना–पत्र दिनॉक 21.05.2013 को प्रस्तुत किया, जिसके सम्बन्ध में राशि 25000/– रूपये भी दिनॉक 22.5.2013 को जमा करा दिये गये। जिसकी छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। इसी दौरान अप्रार्थी के पिता भंवराराम राठी की मृत्यु हो चुकी है तथा फौतगी नामान्तरकरण के पश्चात हक त्याग इत्यादि करवाया जाना शेष है तत्पश्चात ही आगे की कार्यवाही हो सकेगी। प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधज्ञा होने से आगे की कार्यवाही नही हो पा रही है, इसलिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज फरमाया जावे। प्रकरण में उभय पक्षकार एवं प्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित आये, जिन्हे सुना गया। दोनो पक्षों ने अपने–अपने पक्ष में तर्क दिये। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं नगरपालिका में जमा पत्रावली 21.05.2013 एवं जमा राशि अनुसार प्रकरण आज दिन भी नगरपालिका में 90 क के तहत विचाराधीन है, अप्रार्थी के पिता भंवराराम राठी का इन्तकाल हो चुका है तथा जमाबन्दी में उनके वारिसान का नाम दर्ज है परन्तु बहनो इत्यादि से हक त्याग कराया जाना शेष है तथा इस न्यायालय द्वारा स्थगन होने से रूपान्तरण की कार्यवाही आगे नही हो पा रही है। प्रकरण का अवलोकन करने पर पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनॉक 05.04.2022 एवं प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act-1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	